दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान

निम्नलिखित श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न आरक्षित पदों को भरने के लिए नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों से **दिविप्रा की वेबसाइट www.dda.org.in पर "ऑन-लाइन"** आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद, वेतनमानों, और पात्रता की शर्तों का विवरण निम्नानुसार हैं:

पोस्ट कोड	पद का नाम	समूह	वेतन बैंड /ग्रेड वेतन	01.06.2015 को आयु	भर्ती नियमों के अनुसार अर्हताएं	सं. की रिक्तियों	विकलांगता की श्रेणी जिसके लिए पद आरक्षित है		
							वीएच	एचएच	ओएच
01	वरिष्ठ कानूनी अधिकारी	ए	15600-39100/- और ग्रेड वेतन रू. 6600/- (वेतन बैंड-3)	35 वर्ष से अनधिक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में नियमित डिग्री धारक (बार में पंजीकरण के लिए पदधारण और न्यायालयों के समक्ष प्रकट होने की पात्रता की); और समकक्ष (ii) बार में 07 वर्ष का अनुभव	1	1	-	-
02	सहायक अधिशासी अभियंता	ए	15600-39100/- और ग्रेड वेतन रु. 5400/- (वेतन बैंड-3)	21-30 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री।	1	-	1	-
03	सहायक निदेशक (मंत्रीस्तरीय)	बी	9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4800/- (वेतन बैंड-2)	30 वर्ष से अधिक नहीं	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर या समकक्ष, कार्मिक, मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, जमीन जायदाद/शहरी प्रबंधन, वित्त और विपणन में विशेषज्ञता सहित।	4	2	1	1

पोस्ट कोड	पद का नाम	समूह	वेतन बैंड /ग्रेड वेतन	01.06.2015 को आयु	भर्ती नियमों के अनुसार अर्हताएं	रिक्तियों की सं.	विकलांगता की श्रेणी जिसके लिए पद आरक्षित है		
							वीएच	एचएच	ओएच
04	कानूनी सहायता	बी	9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4600/- (पीबी-2)	30 वर्ष से अधिक नहीं	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में नियमित डिग्री धारक (बार में पंजीकरण के लिए पदधारण और न्यायालयों के समक्ष प्रकट होने की पात्रता की); और (ii) बार में 07 वर्ष का अनुभव	3	2	-	1
05	प्रोग्रामर	बी	9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4200/- (पीबी-2)	30 वर्ष से अधिक नहीं	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग कॉलेज/ संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री। अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज/ संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा (iii) कंप्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) से 'बी' स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सॉफ्टवेयर विकास, आरडीबीएमएस और डाटा प्रोसेसिंग में एक वर्ष का अनुभव।	1	-	-	1
06	योजना सहायक	बी	9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4600/- (पीबी-2)	30 वर्ष से अधिक नहीं	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से नियोजन/ वास्तुकला में स्नातक डिग्री या समकक्ष।	1	-	1	-

पोस्ट कोड	पद का नाम	समूह	वेतन बैंड /ग्रेड वेतन	01.06.2015 को आयु	भर्ती नियमों के अनुसार अर्हताएं	रिक्तियों की सं.	विकलांगता की श्रेणी जिसके लिए पद आरक्षित है		
							वीएच	एचएच	ओएच
07	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	बी	9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4200/- (पीबी-2)	18 से 27 वर्ष के बीच	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष।	5	-	3	2
08	अनुभागीय अधिकारी (उद्यान)	बी	9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4200/- (पीबी-2)	30 वर्ष से अधिक नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कृषि, बागबानी या वानिकी में स्नातक डिग्री या समकक्ष।	3	-	2	1
09	सहायक	बी	9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4600/- (पीबी-2)	30 वर्ष से अधिक नहीं	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष। (ii) कंप्यूटर दक्षता।	6	2	2	2

2. ऊपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/ कमी की जा सकती है और घटाकर शून्य भी की जा सकती है जो किसी एक या अन्य कारण(कारणों) से रिक्तियों की आवश्यकता और उपलब्धता या अनुपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए कोई अधिसूचना/ शुद्धि -पत्र जारी नहीं की जाएगी/किया जाएगा।

नोट:- विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित पदों के लिए, विकलांगों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

(i) **वीएच- द्रष्टिबाधित**

(ii) **एचएच- श्रवणशक्ति बाधित**

(iii) **ओएच- अस्थिबाधित**

3. महत्वपूर्ण

(i) न्यूनतम विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि वे उस पद के लिए पात्रता पूरी करते हैं, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है:

उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उस पद के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। परीक्षा के सभी चरणों पर उनका प्रवेश पात्रता की विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन **विशुद्ध अनंतिम** होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करने मात्र का आशय यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत कर ली गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता की शर्तों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षा/ कौशल परीक्षा आदि (जैसा लागू हो) उत्तीर्ण कर लेने के बाद ही करेगा।

यदि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से पूर्व या बाद में किसी भी समय सत्यापन के समय, यह पाया जाता है कि वे पात्रता की शर्तें पूरा नहीं करते, तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंसूख कर दी जाएगी। यदि उनका कोई भी दावा गलत पाया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके खिलाफ, जैसा उपयुक्त समझे, अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

4. सभी संचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स उपस्कर निषिद्ध

i) परिसरों में, जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, मोबाईल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स उपस्कर की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन करने पर उन उम्मीदवारों के खिलाफ भविष्य में परीक्षाओं पर निषेध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

ii) उम्मीदवारों को उनके हित में परामर्श दिया जाता है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन/ पेजर सहित कोई भी निषिद्ध वस्तु न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षित अभिरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सका।

iii) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी मूल्यवान/ कीमती सामान न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में किसी भी हानि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

5. पात्रता की शर्तें:

राष्ट्रीयता

अभ्यर्थी होना चाहिए:

(क) भारत का नागरिक, अथवा

(ख) नेपाल का नागरिक, अथवा

(ग) भूटान का नागरिक, अथवा

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी तौर पर बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 को या उससे पूर्व भारत आया हो, अथवा

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, केन्या, यूगांडा, तंजानिया संयुग्त गणराज्य (पूर्व में तंगानविका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया, और वियतनाम के पूर्व अफ्रीकी देश से प्रवासित हुए हो और उनकी मंशा भारत में स्थायी तौर पर बसने की है।

बशर्ते कि श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ड) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

ऐसा अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, को परीक्षा/जांच आदि में प्रवेश दिया जाए किंतु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे जारी आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

6. आयु में छूट:

i) अधिकतम 05 (पांच) वर्ष तक, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है।

ii) अधिकतम 03 (तीन) वर्ष तक, अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का है, जो इन उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण के पात्र हैं।

iii) अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक, यदि अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा: अधिसूचित **द्रष्टि बाधित, श्रवणशक्ति बाधित अथवा अस्थिबाधित** व्यक्ति है।

इस प्रकार, ऊपरी आयु सीमा में अनारक्षित विकलांग अभ्यर्थी अधिकतम 10 वर्ष की छूट, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी अधिकतम 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी अधिकतम 13 वर्ष छूट का पात्र होगा।

iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाने वाली जन्मतिथि वह तारीख है जो विद्यालय छोड़ने के मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक .प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय मैट्रिकुलेशन के समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र में दर्ज की गई या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेट रजिस्टर से उद्धृत तारीख है जो विश्वविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

v) कुंडली, हलफनामे, नगर निगम जन्म, सेवा रिकॉर्डों से उद्धरण या ऐसे ही आयु संबंधी किसी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vi) अनुदेश के इस भाग में अभिव्यक्ति मैट्रिकुलेशन/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में उपरोक्त उल्लिखित वैकल्पिक प्रमाणपत्र शामिल हैं।

vii) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्मिकों को छूट दी जा सकती है।

नोट: अभ्यर्थी नोट करें कि बाद में जन्म-तिथि में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

7. चयन प्रक्रिया:

क्रमांक 1, 2, 3 और 4 पर पदों की श्रेणी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न युक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके बाद चुने गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। क्रमांक 5 से 9 के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा का मानक और पाठ्यक्रम विनिर्धारित न्यूनतम अर्हता के स्तर का होगा। लिखित परीक्षा का माध्यक केवल हिंदी/अंग्रेजी होगा। प्रश्न पत्र 02 घण्टे की अवधि का होगा जिसमें संबंधित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (बहुविकल्पी प्रश्नों) के साथ-साथ तर्कशक्ति, परिमाणात्मक अभिवृत्ति, सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी भाषा के 120 अंकों के 120 प्रश्न होंगे। साक्षात्कार, जहां विनिर्दिष्ट हो, 20 अंक का होगा।

(i) गलत उत्तर के लिए शास्ति:
अभ्यर्थी नोट कर लें कि अटकलें लगाने को हतोत्साहित करने के लिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में गलत उत्तर/एकाधिक उत्तर चिह्नित किए जाने के लिए 0.33 (ऋणात्मक अंकन) की शास्ति लगाई जाएगी।
(ii) न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45% और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक होंगे, जिसके बाद चुने गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, लिखित परीक्षा के साथ-साथ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार (जहां भी निर्धारित) के समग्र अंको पर भी लागू होगा। मेरिट (योग्यता) का निर्णय पूर्वोक्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार (जहां विनिर्दिष्ट हो) के अंकों को मिलाकर हासिल कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

8. मेरिट तैयार करना:

अलग-अलग पदों के लिए सभी सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची, अभ्यर्थिता द्वारा लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में, जहां निर्धारित हो, प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

हालांकि, यदि दो या अधिक उम्मीदवारों की समान मेरिट स्थिति आती है, तो उनकी मेरिट का निर्णायक कारक उनकी जन्मतिथि होगी अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेरिट-सूची में ऊपर रखा जाएगा।

9. सामान्य शर्तें:

(i)

(क) द्रष्टिहीन या आंशिक द्रष्टिबाधित व्यक्तियों सहित चालीस प्रतिशत (40%) द्रष्टि विकार वाले सभी द्रष्टिबाधित विकलांग (वीएच) अभ्यर्थी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें गति सहित लिखने की सीमा है और जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, स्क्राईब की सहायता ले सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केवल ऐसे उम्मीदवारों को स्क्राईब उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्क्राईब की मांग की है। स्क्राईब उपलब्ध कराने के लिए माध्यम को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा देगा। ऐसे द्रष्टिबाधित या अस्थिबाधित उम्मीदवारों के साथ परीक्षा परिसर में किसी परिचर की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) जो अभ्यर्थी आवर्धक लैंस की मदद से प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं और उत्तर लिख/इंगित कर सकते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इन उम्मीदवारों को स्क्राईब की मदद उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए द्रष्टिबाधित अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा। इन उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में अपना स्वयं का आवर्धक लैंस लाना होगा और उन्हें स्क्राईब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(ग) "एक आंख वाले" और ऐसे द्रष्टिबाधित उम्मीदवारों को स्क्राईब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जिनकी द्रष्टिबाधिता चालीस प्रतिशत (40%) से कम है।

(घ) केवल ऐसे विकलांग व्यक्तियों को परीक्षा के प्रति घण्टा 20 मिनट का प्रतिपूर्ति समय दिया जाएगा जिन्होंने स्क्राईब की सुविधा का विकल्प चुना है जैसा उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है।

(ii) अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार देने के लिए कोई यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता नहीं चुकाया जाएगा।

(iii) चयनित अभ्यर्थी को 2,00,000/- (दो लाख रूपए केवल) का प्रतिभूति बंधपत्र मुहैया कराने के लिए कहा जाएगा। यदि वह तीन वर्ष (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि + उसके बाद एक वर्ष की नियमित सेवा) की सेवा पूरी होने से पूर्व प्राधिकरण की सेवा छोड़ता/छोडती है, उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्रतिभूति जब्त की ली जाएगी।

(iv) परिवीक्षक प्रशिक्षु के पद पर नियुक्ति के लिए सभी विहित नियम और शर्तें भी लागू होंगी।

(v) परिवीक्षा की अवधि: दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि के दौरान, चयनित उम्मीदवारों को विभागात्मक प्रक्रियाओं आदि संबंधी इन-हाऊस प्रशिक्षण दिया जाएगा।

10. दस्तावेजों का सत्यापन:

चुने गए उम्मीदवारों को, जो लिखित परीक्षा में सफल रहे हैं, जब भी विनिर्धारित किया जाए, मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

अभ्यर्थी के लिए मूल दस्तावेजों के सत्यापन के प्रयोजनार्थ विनिर्धारित तारीख को इनकी स्व-अनुप्रमाणित छायाप्रति सहित निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष अथवा दस्तावेज एवं पहचान सत्यापन के समय प्रस्तुत होना अनिवार्य होगा:-

(i) अभ्यर्थी के स्कैन किए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर वाले आवेदन का प्रणाली सृजित प्रिंटआउट।

(ii) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का प्रमाणपत्र/अंकसारणी, जिसमें अभ्यर्थी की जन्म-तिथि का उल्लेख किया गया हो।

(iii) सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक/ उच्चतर योग्याताओं की डिग्रियां और प्रमाणपत्र, सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंक सारणियों सहित।

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनु. जाति/ अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र, जैसा मामला हो (यदि लागू हो)।

(v) संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र (जिसमें विकलांगता के प्रकार और प्रतिशत का उल्लेख किया गया हो)।

(vi) विज्ञापन और/अथवा कॉल लेटर में दिए गए विवरण के अनुसार अन्य सभी दस्तावेज।

(vii) यदि अभ्यर्थी, मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होता/होती, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी और उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किसी भी मामले में कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा।

जहां चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार किया जाना है, दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन प्रस्ताव/ नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले किया जाएगा, जिसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी।

11. आवेदन कैसे करें:

(i) उम्मीदवारों को वेबसाइट http://www.dda.org.in पर लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। "ऑनलाइन आवेदन पत्र" को भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश **परिशिष्ट-I** पर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को इन अनुदेशों का ध्यान से अध्ययन और इनका पालन करना चाहिए।

अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ (100 केबी से कम) और हस्ताक्षर (50 केबी से कम) की स्कैन (डिजिटल) छवि अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के बाद, आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र की सुपाठ्य स्कैन प्रतिलिपि (पीडीएफ प्रारूप में और अधिकतम आकार 3 एमबी होना चाहिए) अपलोड करनी होगी। विकलांगता प्रमाण-पत्र, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि कोई आवेदक विकलांगता प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि अपलोड नहीं कर पाता, ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे केवल एक ही आवेदन जमा कराएं; हालांकि, यदि किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण, यदि वह एक अन्य/ एकाधिक आवेदन पत्र जमा करता/करती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर पंजीकरण आईडी (आरआईडी) (अर्थात जो आवेदन-पत्र बाद में पंजीकृत किया गया है) सभी तरह से अर्थात आवेदक के विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि से पूरी तरह से पूर्ण है। जो आवेदक एकाधिक आवेदन-पत्र जमा कर रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केवल उच्चतर आरआईडी वाले आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) **महत्वपूर्ण तारीखें**

वेबसाई पर लिंक खोलने की तारीख	**05/10/2015**	सुबह 10.00 बजे
वेबसाईट पर लिंक बंद होने की तारीख	**02/11/2015**	शाम 06.00 बजे तक
परीक्षा का संभावित माह	**दिसम्बर 2015**	

टिप्पणी: ये सभी तारीखें संभावित हैं और यदि कोई स्थिति नियंत्रण से परे होती है, इन तारीखों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। इस परिवर्तन की सूचना, यदि कोई हो, वेबसाईट पर दी जाएगी। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे भर्ती प्रक्रिया और निर्धारित समय में परिवर्तन, यदि कोई हो संबंधी सूचना के लिए वेबसाईट के संपर्क में रहें।

(iii) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा से तीन सप्ताह पहले एक ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए ई-प्रवेश प्रमाणपत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [http://www.dda.org.in] पर उपलब्ध होगा। कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा

(iv) **उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए सुविधा काउंटर:**

अपने आवेदन, अभ्यर्थिता आदि के संबंध में किसी भी दिशा-निर्देश/ सूचना/ स्पष्टीकरण के मामले में, **अभ्यर्थी कार्यदिवसों को पूर्वाह्न 10.00 बजे और अपराह्न 17.00 बजे के बीच विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली में स्वयं जाकर या टेलीफोन नंबर 011-24649644 पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सुविधा केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं।**

v) सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों में या अन्य समान संगठनों या निजी रोजगार में हों, प्रस्ताव/ नियुक्ति-पत्र जारी किए जाने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

vi) तथापि, सरकारी सेवा में पहले से ही सेवारत व्यक्ति को, चाहे स्थायी या अस्थायी हैसियत से कार्यरत हो, या कैजुअल या दैनिक कर्मचारियों से इतर कार्यप्रभारी कर्मचारी हो अथवा सार्वजनिक उद्यमों के तहत सेवारत हो, इस आशय का वचनबंध देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को लिखित में सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके नियोक्ता से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने/ परीक्षा देने के लिए अनुमति न दिए जाने की सूचना मिलती है, तो उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है/ उनकी अभ्यर्थिता को रद्द किया जा सकता है।

कोई भी अभ्यर्थी, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित का दोषी ठहराया गया है:

(i) निम्नलिखित माध्यमों से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता लेना, नामत:-

(क) किसी को अवैध परितोषण का प्रस्ताव करना, अथवा

(ख) दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा के आयोजन से जुडे किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेल करने की धमकी देना, या

(ii) प्रतिरूपण करना, या

(iii) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण कराना, या

(iv) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो, या

(v) ऐसे वक्तव्य देना जो गलत या झूठे या सही जानकारी को छुपाने वाले हो, या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में निम्नलिखित माध्यमों का आश्रय लेना, नामत:

(क) अनुचित तरीकों से प्रश्नपत्र की प्रति प्राप्त करना,

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय काम से जुड़े व्यक्तियों के विवरण का पता लगाना।

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं में अश्लील बातें लिखना अथवा अश्लील स्कैच बनाना, या

(ix) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना जिसमें पृष्ठों को फाडना, सह परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना, अव्यवस्था या समान दृश्य सृजित करना, अथवा

(x) दिविप्रा द्वारा अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियोजित कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक हानि पहुंचाना, या

(xi) मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या उपस्कर या कोई अन्य ऐसा उपकरण पास रखना या उपयोग करना जिसे परीक्षा के दौरान संचार उपस्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके; या

(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देने वाले उनके प्रवेश प्रमाणपत्रों के साथ-साथ जारी किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करना, या

(xiii) स्वयं को आपराधिक मुकदमबाजी में डालने के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण को पिछले खण्ड में विनिर्धारित सभी या किसी एक कृत्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करने का प्रयास करने पर;

(क) दिविप्रा द्वारा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिसका/ जिसकी वह अभ्यर्थी है और/ अथवा

(ख) दिविप्रा द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या चयन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है;

(ग) यदि वह पहले से सरकारी सेवा में है, उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

12. दिविप्रा से पत्राचार:-

दिविप्रा उम्मीदवारों के साथ निम्नलिखित मामलों से इतर, उनकी अभ्यर्थिता के बारे में कोई अन्य पत्राचार नहीं करेगा:

i) पात्र उम्मीदवारों को ऊपर निर्दिष्ट तारीखों तक ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से पहले **निर्धारित तारीख तक** अपना ई-प्रवेश प्रमाण पत्र या परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता के बारे में अन्य कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती, तो उसे तत्काल दिविप्रा से संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में सूचना **दिविप्रा के कार्यालय विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली -23** में स्थित सुविधा काउंटर से स्वयं जाकर प्राप्त की जा सकती है। **यदि दिविप्रा के कार्यालय से परीक्षा से कम से कम 3 सप्ताह पहले उसका ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, अपना ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए वह पूरी तरह उत्तरदायी होगा/होगी। सामान्य तौर पर किसी उन्नमीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसके पास परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रमाण-पत्र नहीं है।** अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश, आवेदन-पत्रमेंउनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूरी तरह से अनंतिम है। यह दिविप्रा द्वारा पात्रता की सभी शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा। **केवल इस तथ्य से कि अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किया गया है, इसका यह आश्य नहीं होगा कि दिविप्रा द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंतिम मंजूरी दे दी गई है या अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियों को सत्य और सही के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि दिविप्रा अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तों का सत्यापन करता है। जब तक अभ्यर्थिता की दिविप्रा द्वारा औपचारिक पुष्टि नहीं की जाती, यह अनंतिम ही रहती है।** परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में दिविप्रा का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी कारणों से कुछ मामलों में ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में नाम संक्षिप्त किया जा सकता है।

(ii) यदि अभ्यर्थी ने दिविप्रा की वेबसाईट से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड किए हैं, उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए इनमें से केवल एक प्रवेश प्रमाण पत्र का उपयोग करना चाहिए और अन्य के बारे में दिविप्रा कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी को किसी अन्य अभ्यर्थी का ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत सही ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करते हुए इसे दिविप्रा को वापस कर देना चाहिए। अभ्यर्थी यह नोट करें कि उन्हें किसी अन्य अभ्यर्थी को जारी किए गए प्रवेश प्रमाण-पत्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ऑनलाईन आवेदन-पत्रों में दिए गए ई-मेल आईडी वैध और सक्रिय हैं।

महत्वपूर्ण:- दिविप्रा से सभी पत्राचार में निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम तथा वर्ष।
2. पंजीकरण आईडी (आरआईडी)
3. रोल नं. (यदि प्राप्त हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)
5. आवेदन में दिए गए अनुसार पूरा डाक पता

नोट करें I. जिस पत्राचार में उपर्युक्त विवरण नहीं होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट करें II. उम्मीदवारों को भविष्य में संदर्भ के लिए अपना आरआईडी नोट कर लेना चाहिए।

उन्हें परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में इसका उल्लेख करना होगा।

13. शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आरक्षण लेने के लिए पात्रता वहीं होगी हो "विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण का अधिकार और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995" में विनिर्धारित है। इसके अलावा बशर्ते कि विकलांक व्यक्ति, इसके काडर के नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्धारित पहचानी गई सेवा/ पद की अपेक्षाओं के अनुरूप शारीरिक अपेक्षाओं/ कार्यात्मक वर्गीकरण (क्षमता/ विकलांगता) के संदर्भमें विशेष पात्रता के मानदण्डों को भी पूरा करता हो। शारीरिक अपेक्षाएं और कार्यात्मक वर्गीकरण, उदाहरण के लिए निम्नलिखित में से एक या इनसे अधिक हो सकती/सकते हैं:-

(i) **<u>शारीरिक अपेक्षाओं के कोड</u>**

S बैठना ST खडे होना W चलना SE देखना H सुनना/बोलना RW पढ़ना और लिखना C संवाद करना MF अंगुली से हरकत करना PP धक्का देना और खींचना L ऊपर उठाना KC घुटमन या घिसटकर चलना BN मुडना

(ii) **<u>कार्यात्मक वर्गीकरण के कोड</u>**

ओएच	-	अस्थि विकलांग
वीएच	-	दृष्टिहीन विकलांग
एचएच	-	श्रवण विकलांग
ओए	-	एक बांह
ओएल	-	एक पैर
बीए	-	दोनों बांह

बीएच	-	दोनों हाथ
एमडब्ल्यू	-	पेशी कमजोरी
ओएओएल	-	एक बांह एक पैर
बीएलए	-	दोनों पैर दोनों बांह
बीएलओए	-	दोनों पैर एक बांह
एलवी	-	कम दृष्टि
बी	-	नेत्रहीन
पीडी	-	आंशिक रूप से बधिर
एफडी	-	पूरी तरह से बहरा

टिप्पणी: उपर्युक्त सूची परिवर्तन के अध्यधीन है।

14. कोई भी अभ्यर्थी केवल सामुदायिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का/की पात्र केवल तभी होगा/होगी यदि वह विशेष जाति, जिससे वह संबंध रखता/रखती है, केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अपने आवेदन-पत्र में इंगित करता/करती है कि वह अनारक्षित (यूआर) श्रेणी का/की है, लेकिन बाद में दिविप्रा को अनुरोध करता/करती है कि उसकी श्रेणी में परिवर्तनकर आरक्षित कर दी जाए, ऐसे अनुरोध पर दिविप्रा द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यही सिद्धांत शारीरिक विकलांग श्रेणियों पर भी अपनाया जाएगा। जबकि आमतौर पर उपर्युकत सिद्धांत का पालन किया जाएगा, ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी विशेष समुदाय को किसी आरक्षित समुदाय की सूची में सूचीबद्ध करने और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र जमा कराए जाने की तारीख में कुछ समयांतराल (मानो 2-3 माह) हो। ऐसे मामलों में, सामान्य से आरक्षित समुदाय के परिवर्तन के अनुरोध पर दिविप्रा द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है। यदि दुर्भाग्यवश अभ्यर्थी परीक्षा की अवधि के दौरान शारीरिक विकलांग हो जाता है, अभ्यर्थी को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ताकि दिविप्रा मामले के गुणावगुण के संबंध में निर्णय ले सके।

15. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलंग व्यक्ति को उपलब्ध आरक्षण/ छूट का लाभ मांगने वाले अभ्यर्थी आरक्षण/ छूट के लिए, नियमों/नोटिस में विनिर्धारित पात्रता के अनुसार पात्र हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में विनिर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी होने चाहिएं जैसाकि इन लाभों के लिए नियमों/ नोटिस में विहित है, और इन प्रमाणपत्रों की तारीख परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र की निर्धारित तिथि (अंतिम तारीख) से पहले के होने चाहिए।

16. आवेदन-पत्र वापस लेना:

किसी भी अभ्यर्थी से आवेदन-पत्र जमा किए जाने के बाद प्राप्त अभ्यर्थिता को वापस लेने के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

17. अन्य अनुदेश:-

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण पास कोई नोटिस जारी किए बिना, यदि आवश्यक हो, तो भर्ती प्रक्रिया को रद्द/ प्रतिबंधित/ बढ़ाने/ आशोधित/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ii) किसी भी विवाद के मामले में न्यायाधिकार क्षेत्र दिल्ली होगा।

आयुक्त (कार्मिक)
दिल्ली विकास प्राधिकरण

<u>परिशिष्ट-I</u>

सामान्य अनुदेश:

1. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन की प्रतिलिपि ध्यानपूर्वक पढ़ लें और जांच कर लें कि वे आवेदन के लिए पात्र हैं।

2. **आवेदन-पत्र केवल दिविप्रा की वेबसाइट (www.dda.org.in) के माध्यम से भरे और जमा किए जाएंगे।**

3. उपलब्ध कराया गया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर, आवेदन की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक वैध रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, उसे किसी व्यक्ति को पंजीकरण संख्या साझा करनी होगी/ का उल्लेख करना होगा। यदि अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उसे अपनी नई ईमेल आईडी बनानी चाहिए।

4. आवेदन के साथ किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना है।

5. आवेदकों को पहले वेबसाइट www.dda.org.in पर जाना होगा, इसके बाद, भर्ती अधिसूचना खोलें।

6. उम्मीदवारों को वेबसाइट के होम/ भर्ती पृष्ठ पर जाना होगा और **"विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन" शीर्षक सबलिंक पर जाएं। इस सबलिंक पर क्लिक करने पर उपयुक्त ऑनलाइन आवेदन प्रारूप खुल जाएगा।**

7. ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है: पंजीकरण/ लॉग इन, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता और अनुभव, फोटो, हस्ताक्षर और विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना, अंतिम तौर पर जमा करना और पंजीकरण प्रमाण-पत्र का सृजन।

8. ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को वेबसाइट पर दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार अपनी नवीनतम फोटो (100 केबी से कम) और हस्ताक्षर (50 केबी से कम) की जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में छवि स्कैन (डिजिटल) करनी होगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करते हुए पहले अपनी फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करने चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर, दोनों पीसी/ लैपटॉप पर सेव हो गए हैं।

9. उम्मीदवार को अपने विकलांगता प्रमाण पत्र की पीडीएफ प्रारूप में स्कैन की गई प्रतिलिपि भी तैयार रखनी चाहिए। इस पीडीएफ का अधिकतम आकार 3 एमबी होना चाहिए।

10. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे फॉर्म में पूछा गया सभी विवरण बिना किसी वर्तनी की

गलती किए सावधानीपूर्वक भरें। सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर, सिस्टम पंजीकरण प्रमाण-पत्र सृजित करेगा जिस पर विशेष आवेदन संख्या का उल्लेख किया गया होगा।

11. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रिंटआउट लेकर इसे अपने रिकॉर्ड के लिए संरक्षित करना चाहिए।

12. यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता/चाहती है, तो उसे दोनों पदों के लिए अलग से आवेदन करना होगा। यदि किन्हीं दो या अधिक पदों के लिए परीक्षा की तारीख/ समय एक ही रहता है, अभ्यर्थी को फैसला करना होगा जिन्हें वे कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं और दिविप्रा, बाद में परीक्षा की तारीख/समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

13. आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अथवा उसके पिता/ पति की जन्म-तिथि और नाम आदि की वर्तनी सही हो जो माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के प्रमाण पत्र/ अंक-पत्र में लिखे हैं। इसमें किसी भी परिवर्तन/ बदलाव से उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

14. अभ्यर्थियों को अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके वेबसाइट से अपना प्रवेश-पत्र/ कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को इसकी सूचना ईमेल / एसएमएस द्वारा दी जाएगी। फिजिकल कॉल लेटर डाक द्वारा **नहीं** भेजा जाएगा।

15. दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कोई नोटिस जारी किए बिना, यदि आवश्यक हो, भर्ती प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/बढाने/आशोधित/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

संस्था/ अस्पताल का नाम और पता

परिशिष्ट-II

प्रमाणपत्र सं. ..... **दिनांकः .....**

विकलांगता प्रमाण-पत्र

अभ्यर्थी का नवीनतम फोटोग्राफ जिसमें चिकित्सा अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित विकलांगता दर्शाई गई हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती / कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... आयु ..... लिंग ..... पहचान चिह्न..... निम्न विकलांगता श्रेणी से स्थायी तौर परपीड़ित है।

क. चलने फिरने या प्रमस्तिष्क अंगघात:

(i) बीएल-दोनों पैर प्रभावित हैं लेकिन बाजू प्रभावित नहीं हैं।

(ii) बीए- दोनों बाजू प्रभावित

(क) विकृत पहुंच।

(ख) पकड़ में कमजोरी

(iii) बीएलए- दोनों पैर और दोनों बाजू प्रभावित

(iv) ओएल- एक पैर (दायां या बायां) प्रभावित

(क) विकृत पहुंच।

(ख) पकड़ में कमजोरी

(ग) गतिविभ्रम

(v) ओए-एक बाजू प्रभावित

(क) विकृत पहुंच।

(ख) पकड़ में कमजोरी

(ग) गतिविभ्रम

(vi) बीएच- पीठ और कूल्हों में अकड़न (बैठा या खड़ा नहीं हुआ जाता)

(vii) एमडब्ल्यू- पेशीय कमजोरी और सीमित शारीरिक सहिष्णुता

ख. दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि:

(i) बी- दृष्टिहीनता

(ii) पीबी- आंशिक अंधता।

ग. श्रवणशक्ति में विकार:

(i) डी- बहरापन

(ii) पीडी- आंशिक बहरापन

(श्रेणी का विलोप कर दें जो लागू नहीं है)

2. यह स्थिति प्रगामी/ गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार की संभावना है/ सुधार की संभावना नहीं है। इस मामले का पुन: मूल्यांकन करने की अनुशंसा नहीं की जाती / ---------- वर्ष ---------- माह की अवधि के बाद पुन: मूल्यांकन की सिफारिश की जाती है।*

3. इनके मामले में विकलांगता का प्रतिशत ---------- प्रतिशत है।

4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी ---------- अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित वास्तविक अपेक्षाएं पूरा करते/करती हैं।

(i)	एफ-अंगुलियां चलाकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(ii)	पीपी- खींचकर और धक्का देकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(iii)	एल- उठाकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(iv)	केसी- घुटमन चलकर या सरककर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(v)	बी-मुडकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(vi)	एस- बैठकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(vii)	एसटी- खडे होकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(viii)	डब्ल्यू - चलने से काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(ix)	एसई- देखकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(x)	एच- सुनकर/बोलकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं
(xi)	आरडब्ल्यू-पढकर और लिखकर काम कर सकता है।	हां/ नहीं

(डॉ .....)	(डॉ .....)	(डॉ .....)
सदस्य	सदस्य	सभापति
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक
/ सीएमओ / प्रमुख द्वारा
प्रतिनियुक्ति
(मोहर के साथ)

* लागू नहीं है उसे काट देना

सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष

भर्ती अभियान के तहत विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम

- वरिष्ठ कानून अधिकारी

भारत का संविधान,

अधिनियम के तहत तैयार किए गए नियमों और विनियमों के साथ दिल्ली विकास अधिनियम, 1957

संपत्ति का स्थानांतरण अधिनियम, 1882

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 जैसा कि आज तक संशोधित है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

अनुबंध, 1872

साक्ष्य अधिनियम, 1872

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पंजीकरण अधिनियम, 1908

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971

नियमों के साथ दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

सीमा अधिनियम, 1963

प्रतियोगिता अधिनियम, 2002

तिथि तक संशोधन के रूप में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973

➢ सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)

सामान्य जागरूकता- प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की अपने ईर्द-गिर्द पर्यावरण की सामान्य जागरूकता और समाज के लिए इसकी प्रयोजनीयता की जांच करना होगा। प्रश्न इस प्रकार भी बनाए जाएंगे कि वर्तमान घटनाक्रमों की जानकारी और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में दिन-प्रतिदिन के प्रेक्षणों और अनुभवों की जांच हो जैसी जानकारी की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षा में भारत, इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक स्थिति, सामान्य नीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी भी विशेष विषय का अध्ययन करना अपेक्षित नहीं है।

<u>सिविल इंजीनियरिंग</u>

1. निर्माण सामग्री

इमारती लकड़ी: विभिन्न प्रकार और प्रजातियों की इमारती लकडी, घनत्व-नमी संबंध, विभिन्न दिशाओं में शक्ति, दोष, अनुमेय प्रतिबल पर दोष के प्रभाव, संरक्षण, सूखा और गीला ह्रास, डिजाइन के लिए कोडल प्रावधान, प्लाईवुड। **ईंटे:** प्रकार, भारतीय मानक वर्गीकरण, अवशोषण, संतृप्ति कारक, चिनाई में ताकत, चिनाई शक्ति पर मसाले की शक्ति का प्रभाव। **सीमेंट:** विभिन्न प्रकार के, संयोजन, समय निर्धारित करना, ताकत सीमेंट का मसाला: सामग्री, अनुपात, पानी की मांग, पलस्तर और चिनाई के लिए मसाला। **कंक्रीट:** डब्ल्यू/ सी के अनुपात का महत्व, शक्ति, अधिमिश्रणों सहित सामग्री, कार्यशीलता, ताकत की जांच, लोच, गैर-विनाशकारी जांच, मिश्रित डिजाइन विधियां।

2. ठोस यांत्रिकी: लोचदार स्थिरांक, प्रतिबल, विमान प्रतिबल, प्रतिबल का प्रतिबल, प्रतिबल, विमान प्रतिबल, मोहर का विकृति वृत, संयुक्त प्रतिबल; विफलता के लोचदार सिद्धांत; सरल झुकाव, कतरनी; वृताकार और आयताकार भागों का आघूर्णन और सरल सदस्य।

3. संरचनात्मक विश्लेषण: निश्चित संरचनाओं का विश्लेषण - ग्राफिकल विधियों सहित सहित विभिन्न विधियां। अनिश्चित कंकाल फ्रेम्स का विश्लेषण - मोमेंट वितरण, ढलान विक्षेपण, कठोरता और बल विधियां, ऊर्जा विधियां, मुलर-ब्रेसलाऊ का सिद्धांत और इसका प्रयोग। अनिश्चित बीम और सामान्य फ्रेमों का प्लास्टिक विश्लेषण - आकार कारक।

4. स्टील और चिनाई की संरचनाओं का डिजाईन: मोड, अवरूपण, अक्षीय संपीडन और संयुग्क्त बल। कनेक्शनों का डिजाइन, सरल सदस्य, निर्मित भाग और फ्रेम, औद्योगिक छतों का डिज़ाइन अंतिम भार डिजाइन के सिद्धांत। सरल सदस्यों और फ्रेमों के डिजाइन।

5. कंक्रीट और चिनाई की संरचनाओं के डिजाइन

झुकाव, कतरन, अक्षीय संपीड़न और संयुक्त बलों के लिए स्टेट डिजाइन की सीमा निर्धारित करना। स्लैब, बीम, दीवारों और पैरों के लिए कॉडल प्रावधान आर.सी. के डिजाइन की कार्यशील प्रतिबल विधि सदस्य प्रतिष्ठित ठोस डिजाइन, सामग्रियों, घाटे की पछाड़ना के तरीकों के सिद्धांत सरल सदस्यों और निर्धारित संरचनाओं का डिजाइन अनिश्चित संरचनाओं की प्रेस्त्रीकरण के लिए परिचय आई.एस. के अनुसार ईंट चिनाई का डिजाइन कोड

6. निर्माण व्यवहार, योजना और प्रबंधन

कंक्रीटिंग उपकरण: भार मात्रा नियंत्रक, मिक्सर, वाइब्रेटर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट पंप, क्रेन, उच्चालक (हॉयस्ट्स), उठाव उपकरण, गढबंदी उपकरण: पावर खनित्र, कुदाल, डोजर, डंपर, ट्रेलर और ट्रेक्टर, रोलर्स, शीप फुटरोलर्स, पंप। निर्माण, नियोजन और प्रबंधन: दण्ड चार्ट, लिंक दण्ड आरेख, वर्कब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटी-ऑन-एरो आरेख। महत्वपूर्ण पथ, संभाव्य गतिविधि अवधियां; घटना-आधारित नेटवर्क। पीईआरटी नेटवर्क: समय-लागत अध्ययन, क्रैशिंग; संसाधन आवंटन।

7. (क) द्रव्य यांत्रिकी, खुला चैनल प्रवाह, पाइप प्रवाह

द्रव्य की विशेषताएं, दाब, अभिप्लवन, उत्प्लावकता, प्रवाह गतिकी; प्रवाह समीकरणों का एकीकरण; प्रवाह की माप; सापेक्षिक गति; संवेग का आघूर्ण; श्यानता, सीमा परत और नियंत्रण, ड्रैग, लिफ्ट; आयामी विश्लेषण, मॉडलिंग; गुहिकायन; प्रवाह दोलन; खुले चैनल प्रवाह में संवेग और ऊर्जा सिद्धांत, प्रवाह नियंत्रण, हाइड्रोलिक उछाल, प्रवाह वर्ग और गुण; धीरे-धीरे भिन्न प्रवाह; हिलोरें: पाइप प्रवाहों में प्रवाह विकास और कमी, मापन; साईफन; सर्जेय (हिलोरें) और वाटर हैमर; पावर पाइप नेटवर्क प्रदान करना।

(ख) द्रवचालित मशीनें और जल-शक्ति

केन्द्रापसारक पंप, प्रकार, प्रदर्शन मापदंड, स्केलिंग, समानांतर पंप; प्रत्यागामी पंप, वायु वाहिका, प्रदर्शन मापदंड; हाइड्रोलिक रैम; हाइड्रोलिक टर्बाइन, प्रकार, प्रदर्शन पैरामीटर, नियंत्रण, विकल्प; बिजली घर, वर्गीकरण और लेआउट, भंडारण, तालाब, आपूर्ति नियंत्रण।

8. (क) जलविज्ञान

जल विज्ञान चक्र, अवक्षेपण और संबंधित डाटा विश्लेषण, पीएमपी, इकाई और सिंथेटिक जल ग्राफ; वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जल; बाढ़ और उनका प्रबंधन, पीएमएफ; धाराएं और उनका प्रमापन; नदी की आकारिकी; बाढ़ का मार्ग; जलाशयों की क्षमता।

(ख) जल संसाधन इंजीनियरिंग

विश्व के जल संसाधन: जल का बहुउद्देशीय उपयोग: मृदा-संयंत्र- जल संबंध, सिंचाई प्रणाली, पानी की मांग का मूल्यांकन; भंडारण और उनके लाभ, भूमिगत जल के फायदे और कुआं जलविज्ञान; जल ठहराव, जल निकासी डिजाइन; सिंचाई राजस्व; कठोर सीमा वाली नहरों के डिजाइन,नहरों के डिजाईन में लैसी और ट्रैक्टिव फोर्स की अवधारणाएं, नहरों की परत; नहरों में अवसादन का परिवहन; गुरुत्वाकर्षण बांधों में गैर-अतिप्रवाह और अतिप्रवाह भाग और उनके डिजाइन, ऊर्जा क्षयकारक और टेलवाटर रेटिंग; हेडवर्क्स का डिजाइन, वितरण कार्य, झरने, क्रॉस-ड्रेनेज निर्माण कार्य, आउटलेट; नदी प्रशिक्षण।

9. पर्यावरण इंजीनियरिंग

(क) जल आपूर्ति इंजीनियरिंग

स्रोतों की आपूर्ति, पैदावार, इनटेक और कंडक्टर के डिजाइन; मांग का आकलन; जल की गुणवत्ता के मानक; जलजनित रोगों पर नियंत्रण; प्राथमिक और द्वितीयक उपचार, उपचार इकाइयों का विवरण और रखरखाव; उपचार इकाइयों का अंतरण; शोधित जल का अंतरण और वितरण प्रणाली, रिसाव और नियंत्रण; ग्रामीण जल आपूर्ति; संस्थागत और औद्योगिक जल आपूर्ति।

(ख) अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग:

शहरी वर्षा जल निपटान; सीवेज संग्रह और निपटान प्रणाली; सीवरों और सीवरेज प्रणाली का डिजाइन; पम्पिंग; सीवेज और इसके शोधन की विशेषताएं, सीवेज शोधन के उत्पादों का निपटान, धारा का प्रवाह, संस्थागत और औद्योगिक सीवेज प्रबंधन का पुनर्नवीकरण; नलसाजी (प्लंबिंग) प्रणाली; ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी स्वच्छता।

(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

स्रोत, वर्गीकरण संग्रह और निपटान; लैंडफिल का डिजाइन और प्रबंधन

(घ) वायु और ध्वनि प्रदूषण और पारिस्थितिकी

वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रभाव, वायु प्रदूषण की निगरानी; ध्वनि प्रदूषण और मानक; पारिस्थितिकीय श्रृंखला और संतुलन, पर्यावरणीय मूल्यांकन।

10 (क) मृदा तंत्र

मृदा की विशेषताएं, वर्गीकरण और अंतःसंबंध; संहनन व्यवहार, संहनन की विधियां और उनकी पसंद; पारगम्यता और रिसाव, प्रवाह जाली, उल्टे फ़िल्टर; संपीडितता और समेकन; अवरूपण प्रतिरोध, प्रतिबल और खराबी; प्रयोगशाला और संस्था में मृदा परीक्षण; प्रतिबल पथ

और प्रयोग; पृथ्वी के दबाव के सिद्धांत, मृदा में प्रतिबल का वितरण; मृदा अन्वेषण, नमूना लेनेवाले, लोड परीक्षण, वेधन परीक्षण।

(ख) आधारशिला इंजीनियरिंग

आधारशिला के प्रकार, चयन मानदंड, वहन क्षमता, व्यवस्थापन, प्रयोगशाला और क्षेत्र परीक्षण; ढेरों के प्रकार और उनके डिजाइन और लेआउट, प्रसरणशील मृदा की आधारशिलाएं, स्फीति और इसकी रोकथाम, स्फीतिशील मृदा पर आधारशिला।

11 (क) सर्वेक्षण

सर्वेक्षणों का वर्गीकरण, पैमाने, सटीकता; दूरियों का मापन - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां; ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; दिशाओं का मापन, प्रिज्मीक कम्पास, स्थानीय आकर्षण; थियोडोलाइट्स - प्रकार; उन्नयन का मापन- स्प्रिट और त्रिकोणमितीय समस्तरता; रीलीफ दर्शाना; समोच्च; डिजिटल ऊंचाई मॉडलिंग अवधारणा; त्रिकोणीय और ट्रैवर्सिंग द्वारा नियंत्रण तय करना - प्रेक्षणों की माप और समायोजन, निर्देशांक की गणना; फील्ड खगोल विज्ञान, वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम की अवधारणा; प्लेन टेबुलिंग और फोटोग्राफ़ी द्वारा नक्शा तैयार करना; रिमोट सेंसिंग अवधारणाएं, मानचित्र प्रतिस्थापन्न।

(ख) परिवहन इंजीनियरिंग

राजमार्ग व्यवस्थाओं की योजना बनाना, संरेखण और ज्यामितीय डिजाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्र, ग्रेड पृथक्कीकरण; विभिन्न सतहों के लिए सामग्री और निर्माण विधियां और रखरखाव: फुटपाथ डिजाइन के सिद्धांत; निकासी। आवागमन सर्वेक्षण, प्रतिच्छेदन, संकेतन: विशाल ट्रांजिट सिस्टम्स, पहुंच, नेटवर्किंग। सुरंग बनाना, संरेखण, निर्माण विधियां, मलबे का निपटान, जल निकासी, प्रकाश और संवातन व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, आपातकालीन प्रबंधन। रेलवे प्रणालियों का नियोजन, शब्दावली और डिजाईन, गेज से जोडना, पटरी, नियंत्रण, ट्रांजिट, चल स्टॉक, ट्रैक्टिव पावर और ट्रैक आधुनिकीकरण; रखरखाव; सहायक निर्माण कार्य, कंटेनराइजेशन। बंदरगाह - अभिन्यास, जहाज बेडे की लेन, लंकर अंकुर, स्थान की पहचान करना; क्षरण और निक्षेपण के साथ -साथ समुद्रतट का बदलना; गहराई नापने की विधियां; शुष्क और गीला डॉक, घटक और परिचालन ज्वारीय आंकड़े और विश्लेषण। हवाई अड्डे - अभिन्यास और अभिमुखीकरण; रनवे और टैक्सी के मार्ग का डिजाइन और जल निकासी प्रबंधन; ज़ोन निर्धारित करने के कानून; दृश्य सहायक उपकरण और वायु यातायात नियंत्रण; हेलीपैड, हैंगर, सेवा उपकरण।

➢ सहायक निदेशक (अनुसचिवीय)

(क) **सामान्य बुद्धि और तर्कक्षमता:** इसमें मौखिक और गैर-मौखिक, दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यता, समानताओं और भिन्नताओं, स्पेस विजुअलाईजेशन, स्थानिक अभिमुखता, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति,

भिन्नता, अवलोकन, संबंधात्मक अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्कक्षमता और आकृति वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, गैर- मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, अव्यव तर्कक्षमता आदि विषय हैं। इसके विषय हैं, सांकेतिक सादृश्यता, प्रतीकात्मक/ संख्या सादृश्यता, आकृति सादृश्यता, वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/ संख्या वर्गीकरण, आकृति वर्गीकरण, सांकेतिक श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, आकृति श्रृंखला, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग और डी-कोडिंग, संख्यात्मक क्रियाएं, प्रतीकात्मक क्रियाएं, रुझान, स्पेस विजुवलाईजेशन, वेन आरेख, आरेखण अनुमान, पंचित छेद / पैटर्न-तह लगाना और तह खोलना, आकृति पैटर्न-तह लगाना और पूर्ण होना, अनुक्रमण, पता मिलान, दिनांक और शहर मिलान, केन्द्र कोड / रोल नंबर का वर्गीकरण, छोटे और बडे अक्षरों/संख्याओं को कोडन, डिकोडन और वर्गीकरण, अंत: स्थापित आकृतियां, विवेचनात्मक विचार, भावनात्मक सूझबूझ, सामाजिक सूझबूझ अन्य उप-विषयों, यदि कोई हो।

(ख) **सामान्य जागरूकता:** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की अपने ईर्द-गिर्द पर्यावरण की सामान्य जागरूकता और समाज के लिए इसकी प्रयोजनीयता की जांच करना होगा। प्रश्न इस प्रकार भी बनाए जाएंगे कि वर्तमान घटनाक्रमों की जानकारी और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में दिन-प्रतिदिन के प्रेक्षणों और अनुभवों की जांच हो जैसी जानकारी की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक स्थिति, सामान्य नीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

(ग) **परिमाणात्मक अभिक्षमता:** ये प्रश्न अभ्यर्थी की संख्याओं का उपर्युक्त उपयोग करने और संख्याओं को समझने की क्षमता की जांच करने के लिए बनाए जाएंगे। इस परीक्षा में पूर्णांकों, दशमलव अंकों, अंशों की गणना,, संख्याओं के बीच संबंधों, प्रतिशत, अनुपात और अनुपात, वर्ग और मूल, औसत, ब्याज, लाभ व हानि, छूट, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण और अभिकथन,समय व दूरी, समय और कार्य, स्कूल बीजगणित और प्राथमिक करणियां, की बुनियादी बीजीय पहचान, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, त्रिभुज और इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोण की एकरूपता और समानताएं, वृत और उसके चापकर्ण, स्पर्शरेखाएं, किसी वृत के चापकर्णों द्वारा कक्षांतरित कोण, दो या दो से अधिक वृतों की साझा स्पर्शरेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत, समकोण प्रिज्म, लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय सिलेंडर, गोला, अर्धगोला, आयताकार समांतर षटफलक, त्रिकोणीय या वर्गाकार आधार वाला नियमित लंब पीरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन की माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊचाई और दूरी, आयातचित्र, आवृत्ति बहुभुज, दंड आरेख और पाई चार्ट।

(घ) **अंग्रेजी भाषा और बोध:** इस घटक में प्रश्न अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा बोध और जानकारी की जांच के लिए बनाए जाएंगे और वे तत्काल त्रुटि सुधार, रिक्त स्थान भरने, पर्यायवाची, विपरीतार्थी शब्दों, वर्तनी/ गलत वर्तनी वाले शब्दों को पहचानने, मुहावरों और वाक्यांशों, एक

शब्द प्रतिस्थापन्न, वाक्यों में सुधार, क्रिया के सकर्मक/अकर्मक वाच्यों, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन में अंतरण, वाक्य के अंशों की अदला-बदली, किसी गद्यांश में वाक्यों की अदला-बदली, क्लोज गद्यांश और बोध गद्यांश पर आधारित होंगे।

- कानूनी सहायता

भारत का संविधान

संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882 प्रोग्रामर के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ-साथ दिल्ली विकास अधिनियम, 1957।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 जैसा कि आज तक संशोधित है।

अनुबंध, 1872

साक्ष्य अधिनियम, 1872

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 जैसा कि आज तक संशोधित है

- प्रोग्रामर

1. कंप्यूटर वास्तुकला, पूरा संगठन। डाटा संचार और नेट-वर्किंग, कृत्रिम आसूचना, माइक्रो प्रोसेसर, संख्या प्रणालियां और डिजिटल संभार तंत्र, पेरिफेरल्स और भंडारण उपस्कर।
2. प्रचालन प्रणालियां: विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स।
3. प्रोग्रामिंग:- एस्पनेट में प्रोग्रामिंग, जावा और एंड्रॉइड/ मोबाइल एप्स प्रोग्रामिंग। डी2के में प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक, पीएल/ एसक्यूएल, एचटीएमएल में प्रोग्रामिंग।
4. डाटा बेस मैनेजमेंट (डीबीएमएस): - ओरेकल 8i और उच्चतर, एसक्यूएल, ओपन सोर्स डीबीएमएस आदि।
5. इंटरनेट और वेब प्रौद्योगिकियां।
6. तर्कक्षमता, परिमाणात्मक अभिवृत्ति, सामान्य जागरूकता, और अंग्रेजी भाषा की योग्यता संबंधीर प्रश्न।

- नियोजन सहायक

क) सामान्य अभिक्षमता - तर्कक्षमता, परिमाणात्मक अभिवृत्ति, सामान्य जागरूकता, और अंग्रेजी भाषा की योग्यता संबंधीर प्रश्न।

ख) योजना विधान

1) दिल्ली के बारे में

2) डी.डी. अधिनियम, 1957

3) दिल्ली मास्टर प्लान-2021

4) बिल्डिंग उपनियम

ग) वास्तुकला और योजना

शहर का नियोजन: शहरों का विकास; शहर नियोजन के सिद्धांत; शहरों के प्रकार और नए शहर; नियोजन विनियम और भवन निर्माण उप-कानून; पर्यावरण-शहर की अवधारणा; सतत विकास।

आवास: हाऊसिंग की अवधारणा; पड़ोस की अवधारणा; साइट नियोजन के सिद्धांत; हाऊसिंग प्ररूपविज्ञान, हाऊसिंग मानक; हाऊसिंग अवसंरचना; हाऊसिंग नीतियां, वित्त और प्रबंधन; भारत में आवास कार्यक्रम; स्वयं सहायता हाऊसिंग।

भूदृश्य डिजाइन: भूदृश्य डिजाइन और साइट नियोजन के सिद्धांत; भूदृश्य की शैलियों का इतिहास; भूदृश्य के तत्व और सामग्री; संयंत्र की विशेषताएं और रोपण डिजाइन; भूदृश्य नियोजन में पर्यावरणीय विचार।

कंप्यूटर समर्थित डिजाइन: वास्तुकला और नियोजन में कंप्यूटर का प्रयोग; हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तत्वों को समझना; कंप्यूटर ग्राफिक्स; भाषाओं की प्रोग्रामिंग- सी और विज़ुअल बेसिक और ऑटोकैड, 3 डी-स्टूडियो, 3 डी मैक्स जैसे पैकेजों का उपयोग।

भवन निर्माण विज्ञान में पर्यावरणीय अध्ययन: पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव; पर्यावरण संबंधी पारिस्थितिकीय सिद्धांत; जलवायु प्रतिक्रियाशील डिजाइन; ऊर्जा दक्ष भवन का डिजाइन; तापीय आराम; सौर वास्तुकला; प्रकाश व्यवस्था के सिद्धांत और प्रदीप्ति की शैलियां; वास्तुकला ध्वनिकी के बुनियादी सिद्धांत; पर्यावरण प्रदूषण, उनका नियंत्रण और कमी।

विजुअल और शहरी डिजाइन: विजुअल संघटन के सिद्धांत; अनुपात, पैमाना, लय, समरूपता, सद्भाव, आधारतल, संतुलन, रूप, रंग, बनावट; जगह और स्थान की सूझबूझ, स्थान का विभाजन; बाधा मुक्त डिजाइन; फोकस बिंदु, विस्टा, इमेज क्षमता, विज़ुअल सर्वेक्षण, आकृति-पृष्ठभूमि का संबंध।

वास्तुकला का इतिहास: भारतीय-सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध, इंडो-आर्यन, द्रविड़ और मुगल काल; यूरोपीय मिस्र, यूनानी रोमन, मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल-निर्माण और वास्तुकला शैली; स्थानीय और पारंपरिक वास्तुकला

समकालीन वास्तुकला का विकास: औद्योगिक क्रांति से लेकर वास्तुकला का विकास और इसका समाज पर प्रभाव; आधुनिक कला का वास्तुकला पर प्रभाव; राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

वास्तुकारों के काम; कला नवसिखिया, सार-संग्रह, अंतरराष्ट्रीय शैलियां, आधुनिकतावाद के उत्तरवर्ती, वास्तुकला में विखंडन।

निर्माण सेवाएं: जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणालियां; सैनिटरी फिटिंग और फिक्सचर; नलसाजी प्रणालियां, आंतरिक और बाहरी जल निकासी व्यवस्था के सिद्धांत, भवनों के विद्युतीकरण के सिद्धांत, इंटेलीजेंट भवन; लिफ्ट और एस्केलेटर, उनके मानक और उपयोग; वातानुकूलन व्यवस्थाएं; अग्निशमन प्रणालियां, भवन सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियां।

भवन निर्माण और प्रबंधन: भवन निर्माण तकनीकें, विधियां और विवरण; भवन निर्माण प्रणालियां और निर्माण तत्वों का पूर्व - विनिर्माण (प्रीफैब्रिकेशन); मॉड्यूलर समन्वय के सिद्धांत; अनुमान, विनिर्देशन, मूल्यांकन, पेशेवर व्यवहार; परियोजना प्रबंधन तकनीकें अर्थात पीईआरटी, सीपीएम आदि;

सामग्री और संरचनात्मक प्रणालियां: सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्रियों अर्थात कीचड़, लकड़ी, बांस, ईंट, कंक्रीट, स्टील, कांच, एफपीआर, विभिन्न पॉलिमर, सम्मिश्र की व्यवहारात्मक विशेषताएं; सामग्रियों की संख्या के सिद्धांत; लकड़ी, इस्पात और आरसीसी में संरचनात्मक तत्वों का डिजाइन; लोचदार और लिमिट स्टेट डिजाइन; जटिल संरचनात्मक प्रणालियां; प्री-स्ट्रेसिंग के सिद्धांत; उँची ईमारतें; आपदा प्रतिरोधी संरचना के सिद्धांत।

नियोजन सिद्धांत: क्षेत्रीय योजना; बस्ती प्रणाली नियोजन; मानव बस्तियों का इतिहास; शहरों और महानगरों का विकास; एकिस्टिक्स के सिद्धांत; ग्रामीण-शहरी प्रवासन; शहरी संरक्षण; शहरी नवीनीकरण; पंचवर्षीय योजना; संरचनात्मक और क्षेत्रीय योजना।

नियोजन की तकनीक: नियोजन सर्वेक्षण तकनीकें; शहरी और क्षेत्रीय संरचना योजनाएं, विकास योजनाएं, कार्य योजनाएं बनाना; साइट नियोजन सिद्धांत और डिजाइन; डाटा विश्लेषण की सांख्यिकीय विधियां; शहरी और क्षेत्रीय योजना में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग; निर्णय लेने संबंधी मॉडल।

यातायात और परिवहन योजना: यातायात इंजीनियरिंग और परिवहन योजना के सिद्धांत; यातायात सर्वेक्षण की विधियां; सड़कों, परिच्छेदनों, ग्रेड विभाजकों और पार्किंग क्षेत्रों का डिजाइन; सड़कों का क्रम और सेवाओं के स्तर; शहरी क्षेत्रों में यातायात और परिवहन प्रबंधन, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणाली; विशाल परिवहन योजना; पैरा ट्रांसिट्स और परिवहन की अन्य विधियां, पैदल यात्री और धीमी गति से चलते वाले यातायात की योजना।

अवसंरचना, सेवाएं और सुविधाएं: जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों के सिद्धांत; जल शोधन; ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणाली; अपशिष्ट शोधन, पुनचक्रण और पुन: उपयोग; शहरी वर्षा जल संचयन; बिजली आपूर्ति और संचार प्रणालियां- नेटवर्क, डिजाइन और दिशानिर्देश; स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, धार्मिक और सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बस्तियों के विभिन्न स्तरों पर जनसांख्यिकी संबंधित मानदंड।

विकास प्रशासन और प्रबंधन: नियोजन कानून; विकास नियंत्रण और ज़ोनिंग विनियम; भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून; विकास प्रवर्तन, शहरी भूमि की अधिकतम सीमा; भूमि प्रबंधन तकनीकें; नियोजन और नगरपालिका प्रशासन; आपदा शमन प्रबंधन; 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन; मूल्यांकन और कराधान; राजस्व संसाधन और वित्तीय प्रबंधन; सार्वजनिक भागीदारी और एनजीओ एवं सीबीओ की भूमिका; संस्थागत नेटवर्किंग और क्षमता निर्माण।

- कनिष्ठ अभियंता (सिविल)

सामान्य जागरूकता- प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की अपने ईर्द-गिर्द पर्यावरण की सामान्य जागरूकता और समाज के लिए इसकी प्रयोजनीयता की जांच करना होगा। प्रश्न इस प्रकार भी बनाए जाएंगे कि वर्तमान घटनाक्रमों की जानकारी और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में दिन-प्रतिदिन के प्रेक्षणों और अनुभवों की जांच हो जैसी जानकारी की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षा में भारत, इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक स्थिति, सामान्य नीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी भी विशेष विषय का अध्ययन करना अपेक्षित नहीं है।

<u>सिविल इंजीनियरिंग</u>

निर्माण सामग्री: भौतिक और रासायनिक गुण, वर्गीकरण, मानक परीक्षण, उपयोग और सामग्री अर्थात निर्माण पत्थरों, सिलिकेट आधारित सामग्री, सीमेंट (पोर्टलैंड), एस्बेस्टोस उत्पादों का उत्खनन, इमारती लकड़ी और काष्ठ आधारित उत्पाद, लैमिनेट, बिटुमिनस सामग्री, पेंट, वार्निश आदि।

सर्वेक्षण: सर्वेक्षण के सिद्धांत, गुणों की कारगरता, कम्पास (दिशासूचक) और बियरिंग, प्लेन टेबुल सर्वेक्षण, थियोडोलाइट दोलक, थियोडोलाइट का समायोजन, समस्तरीय और समोच्चन बनाना, वक्रता, अपवर्तन, डम्पी लेवल का स्थायी समायोजन, समोच्चन विधियां और नियंत्रण मानचित्र के उपयोग, टैकोओमेट्रिक सर्वेक्षण

मृदा यांत्रिकी: मृदा उत्पत्ति के चरण का आरेख, रिक्ति अनुपात की परिभाषा, सरंध्रता, संतृप्ति की डिग्री, पानी की मात्रा, मृदा कणों का विशिष्ट गुरूत्व और इकाई भार, विभिन्न ठोस के लिए अनाज के आकार का वितरण के वक्र और उनके प्रयोग। एटटरजर्ग की सीमाएं, आईएसआई मृदा वर्गीकरण, सुघट्यता (प्लास्टिसिटी) चार्ट, पारगम्यता के गुणांक, प्रभावी प्रतिबल, मृदा का समेकन। मृदाओं की अपरूपण क्षमता की गणना, प्रत्यक्ष अपरूपण जांच, फलक अपरूपण जांच, त्रि-अक्षीय जांच, मृदा संहनन, प्रयोगशाला संहनन परीक्षण, मृदा में नमी की मात्रा और धारण क्षमता, प्लेट लोड परीक्षण, मानक वेधन परीक्षण।

हाइड्रोलिक्स (द्रवचालिकी): तरल की विशेषताएं, द्रवस्थैतिकी, प्रवाह के माप, बर्नोली के प्रमेय और उसके प्रयोग, पाइपों के जरिए प्रवाह, खुले चैनलों, बंधिका, अवनालिका, अधिप्लवन मार्गों, पंपों और टर्बाइनों में प्रवाह।

पर्यावरण इंजीनियरिंग: पानी की गुणवत्ता, पानी की आपूर्ति का स्रोत, पानी की शुद्धिकरण, पानी का वितरण, स्वच्छता की जरूरत, मल-जल व्यवस्था, वर्तुल सीवर, अंडाकार सीवर, सीवर उपाबंध, सतही जल निकासी, सीवेज शोधन।

संरचनात्मक इंजीनियरिंग: संरचनाओं का सिद्धांत: लचीलापन स्थिरांक, बीम के प्रकार, नियत और अनियत बीम, मात्र शुद्धालम्ब, भुजोत्तोलक और प्रलम्ब बीम के बंकन आघूर्ण एवं अपरूपण बल आरेख। सुधार के लिए क्षेत्र का आघूर्ण और जडत्व आघूर्ण और वर्तुल भाग एवं टी, चैनल और बहुस्तर काटों के लिए बंकन आघूर्ण और अपरूपण प्रतिबल, चिमनी, बांध और धारणकर्ता दीवारें, उत्केन्द्र लदान, मात्र शुद्धावलम्ब और भुजोत्तोलक बीमों का ढाल विक्षेपण, क्रांतिक भार और कॉलम, वर्तुल काट के लिए आघूर्ण।

कंक्रीट प्रौद्योगिकी: कंक्रीट की विशेषताएं, लाभ और उपयोग, सीमेंट की कुल गुणवत्ता, पानी सीमेंट का अनुपात, कारगरता, मिश्रण डिजाइन, भंडारण, बैचिंग, मिश्रण, प्लेसमेंट, संयोजन, कंक्रीट का परिष्करण और शोधन, कंक्रीट का गुणवत्ता नियंत्रण, गर्म मौसम और ठंडे मौसम में कंक्रीट बनाना, कंक्रीट संरचना की मरम्मत और रखरखाव।

आरसीसी डिजाइन:

आरसीसी बीम: लोच क्षमता, कर्तन क्षमता, बंधन क्षमता, एकल प्रबलित बीम के डिजाईन, लिंटेल, भूजोत्तोलक बीम, डबल प्रबलित बीम, एक वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, पृथक्कीकृत फूटिंग, प्रबलित ईंटों का काम, टी-बीम, कॉलम, सीढ़ियां, रिटेनिंग दीवारें, पानी के टैंक (आरसीसी डिजाइन संबंधी प्रश्न, लिमिट स्टेट विधि और वर्किंग स्ट्रेस विधि, दोनों पर आधारित हो।)

स्टील डिज़ाइनः इस्पात के डिजाइन और इस्पात के कॉलमों, बीमों, छत की ट्राउस, प्लेट गॉडरों का निर्माण।

➢ अनुभागीय अधिकारी (बागवानी)

अभ्यर्थी को - बागवानी, बागवानी की शैलियों, लॉन बनाने, सड़क के किनारे झाडियों/वृक्षों का रोपण करने, झाडियों, बाडों, बोन्साई का पुष्पन और इसका रख-रखाव, वार्षिक पुष्पों, उद्यान-प्रसाधन, गमले में इनडोर और आउटडोर पौधों, गुलाब का प्रसार, गुलदाउदी, दहलिया, बोगनविलिया, लडकने वाली टोकरी, काटे जाने वाले पुष्पों यथा गुलाब, ग्लैडिओलस, ऑर्किड, ट्यूबोरोज, लिलिअम और एंथोरियम, भूमि कवर, औषधीय पौधों, सुगंधित झाड़/वृक्षों, प्रसारर, पौधों के संरक्षण, नर्सरी प्रबंधन, रूटीन गार्डन क्रियाओं, उद्यान की विशेषताओं, पुष्प प्रदर्शनियों और उद्यान प्रतियोगिताओं, पुष्प सजावट और पुष्प व्यवस्था की जानकारी होनी

चाहिए।

तर्कक्षमता, परिमाणात्मक अभिक्षमता, सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी भाषा।

- **सहायक**

(क) **सामान्य बुद्धि और तर्कक्षमता:** इसमें मौखिक और गैर-मौखिक, दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यता, समानताओं और भिन्नताओं, स्पेस विजुअलाईजेशन, स्थानिक अभिमुखता, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भिन्नता, अवलोकन, संबंधात्मक अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्कक्षमता और आकृति वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, गैर- मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, अव्यव तर्कक्षमता आदि विषय हैं। इसके विषय हैं, सांकेतिक सादृश्यता, प्रतीकात्मक/ संख्या सादृश्यता, आकृति सादृश्यता, वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/ संख्या वर्गीकरण, आकृति वर्गीकरण, सांकेतिक श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, आकृति श्रृंखला, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग और डी-कोडिंग, संख्यात्मक क्रियाएं, प्रतीकात्मक क्रियाएं, रुझान, स्पेस विजुवलाईजेशन, वेन आरेख, आरेखण अनुमान, पंचित छेद / पैटर्न-तह लगाना और तह खोलना, आकृति पैटर्न-तह लगाना और पूर्ण होना, अनुक्रमण, पता मिलान, दिनांक और शहर मिलान, केन्द्र कोड / रोल नंबर का वर्गीकरण, छोटे और बडे अक्षरों/संख्याओं को कोडन, डिकोडन और वर्गीकरण, अंत: स्थापित आकृतियां, विवेचनात्मक विचार, भावनात्मक सूझबूझ, सामाजिक सूझबूझ अन्य उप-विषयों, यदि कोई हो।

(ख) **सामान्य जागरूकता:** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की अपने ईर्द-गिर्द पर्यावरण की सामान्य जागरूकता और समाज के लिए इसकी प्रयोजनीयता की जांच करना होगा। प्रश्न इस प्रकार भी बनाए जाएंगे कि वर्तमान घटनाक्रमों की जानकारी और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में दिन-प्रतिदिन के प्रेक्षणों और अनुभवों की जांच हो जैसी जानकारी की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक स्थिति, सामान्य नीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

(ग) **परिमाणात्मक अभिक्षमता:** ये प्रश्न अभ्यर्थी की संख्याओं का उपर्युक्त उपयोग करने और संख्याओं को समझने की क्षमता की जांच करने के लिए बनाए जाएंगे। इस परीक्षा में पूर्णांकों, दशमलव अंकों, अंशों की गणना,, संख्याओं के बीच संबंधों, प्रतिशत, अनुपात और अनुपात, वर्ग और मूल, औसत, ब्याज, लाभ व हानि, छूट, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण और अभिकथन,समय व दूरी, समय और कार्य, स्कूल बीजगणित और प्राथमिक करणियां, की बुनियादी बीजीय पहचान, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, त्रिभुज और इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोण की एकरूपता और समानताएं, वृत और उसके चापकर्ण, स्पर्शरेखाएं, किसी वृत के चापकर्णों द्वारा कक्षांतरित कोण, दो या दो से अधिक वृतों की साझा स्पर्शरेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत, समकोण प्रिज्म, लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय सिलेंडर,

गोला, अर्धगोला, आयताकार समांतर षटफलक, त्रिकोणीय या वर्गाकार आधार वाला नियमित लंब पीरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन की माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊचाई और दूरी, आयातचित्र, आवृत्ति बहुभुज, दंड आरेख और पाई चार्ट।

(घ) **अंग्रेजी भाषा और बोध:** इस घटक में प्रश्न अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा बोध और जानकारी की जांच के लिए बनाए जाएंगे और वे तत्काल त्रुटि सुधार, रिक्त स्थान भरने, पर्यायवाची, विपरीतार्थी शब्दों, वर्तनी/ गलत वर्तनी वाले शब्दों को पहचानने, मुहावरों और वाक्यांशों, एक शब्द प्रतिस्थापन्न, वाक्यों में सुधार, क्रिया के सकर्मक/अकर्मक वाच्यों, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन में अंतरण, वाक्य के अंशों की अदला-बदली, किसी गद्यांश में वाक्यों की अदला-बदली, क्लोज गद्यांश और बोध गद्यांश पर आधारित होंगे।

<u>नोट: सभी पदों के लिए, परीक्षा का स्तर विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार होगा।</u>